झारखंड उच्च न्यायालय, राँची

आपराधिक विविध याचिका सं. 2505/ 2023

पूनम कुमारी गुप्ता, उम्र लगभग 30 वर्ष, पति - राज कुमार, पुत्र महेंद्र प्रसाद गुप्ता, निवासी गांव और डाक घर - हैदरनगर, थाना- हैदरनगर, जिला- पलामू, झारखंड ... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य

2. श्री राज कुमार, पिता - स्वर्गीय शंकर प्रसाद गुप्ता, निवासी अत- चांदपुर बेला अनिल भवन गली शांति पथ, डाक घर और थाना- जनकपुर, जिला- पटना, बिहार ... उत्तरदाताओं

याचिकाकर्ता के लिए:	श्री शिव कुमार सिंह, अधिवक्ता
	श्री राज नंदन चटर्जी, अधिवक्ता
राज्य के लिए वकील:	श्री विनीत कुमार वशिष्ठ, विशेष पीपी
उत्तरदाता सं.2 के लिए:	श्री गौरव कुमार सिंह, अधिवक्ता

<u>उपस्थित</u>

माननीय श्री न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी

अदालत द्वारा: दोनों पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए विद्वान सत्र न्यायाधीश, पलामू द्वारा पारित दिनांक 15.05.2023 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जिसके तहत और जहां शिकायत वाद संख्या 1258/2022 के संबंध में उत्तरदाता नंबर 2 को अग्रिम जमानत दी गई है, जिसमें अपराध के लिए विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा संज्ञान लिया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए, 377 और 406 के तहत दंडनीय है और उक्त मामला अब जेएमसी, पलामू के समक्ष लंबित है।

3. निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता विपरीत पक्ष नंबर 2 की पत्नी है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य**, **2021 10 एससीसी 773** में रिपोर्ट किए गए के मामले में पारित भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करके एक अवैधता की है, इस तथ्य पर विचार किए बिना कि चूंकि अपराधों में से एक का संज्ञान लिया गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 है जो आजीवन कारावास की अधिकतम सजा, इसलिए, सत्र न्यायाधीश को उत्तरदाता सं 2 को अग्रिम जमानत के विशेषाधिकार नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (सुप्रा)** का अनुपात आजीवन कारावास की अधिकतम सजा के साथ दंडनीय अपराध पर लागू नहीं होता है। अपने तर्क के समर्थन में कि हत्या जैसे जघन्य अपराधों से जुड़े मामलों में जब सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज कर दी है, तो उच्च न्यायालय को केवल अभियुक्त के वकील द्वारा उठाए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को जमानत नहीं देनी चाहिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील **राम मूर्ति शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 378** में रिपोर्ट किया। इसके मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील **सुरेश कुमार सोमाभाई राणा बनाम अशोक कुमार हरकलाल मित्तल और अन्य, (2009) 14 एससीसी 292** में रिपोर्ट किए गए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं, जिसमें हत्या के अपराध से

जुड़े उस मामले के तथ्यों में, जब उच्च न्यायालय ने संबंधित जांच अधिकारी को कोई अवसर दिए बिना, जमानत का आदेश पारित किया और अतिरिक्त लोक अभियोजक ने सेवा को माफ कर दिया और इस तरह के गंभीर मामले में जमानत देने के लिए किसी भी तर्कसंगत आदेश के लिए दबाव नहीं डाला। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जमानत का ऐसा आदेश कानून के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ होगा और न्याय के हित के खिलाफ भी होगा जिसका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और ऐसे मामलों में, यदि अभियुक्तों को मुकदमे से पहले छोड़ दिया जाता है, तो उनके पास अपनी बाहुबल/धन शक्ति द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का अवसर होगा। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस आपराधिक विविध याचिका में की गई प्रार्थना की अनुमति दी जाए।

6. राज्य की ओर से पेश विद्वान विशेष पीपी और दूसरी ओर उत्तरदाता सं.2 के विद्वान वकील विद्वान सत्र न्यायाधीश, पलामू द्वारा पारित दिनांक 15.05.2023 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना का जोरदार विरोध करते हैं, जिसके तहत और जहां शिकायत मामले संख्या 1258/2022 के संबंध में उत्तरदाता सं 2 को अग्रिम जमानत दी गई है, जिसमें विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दंडनीय अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए, 377 और 406 मे संज्ञान लिया गया है। राज्य की ओर से पेश विद्वान विशेष पीपी **नवतेज सिंह जौहर और अन्य बनाम भारत संघ** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के फैसले पर भरोसा करते हैं। सचिव, कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से **भारत संघ (2018) 10 एससीसी 1** में रिपोर्ट किया गया और प्रस्तुत किया गया कि उसमें भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 नैतिक धारणाओं पर आधारित है जो एक संवैधानिक व्यवस्था के लिए एक अभिशाप है जिसमें स्वतंत्रता को रूढ़िवादिता पर विजय प्राप्त करनी चाहिए और संस्कृति की मुख्यधारा पर हावी होना चाहिए और इस संबंध में, विद्वान विशेष पीपी उक्त निर्णय के अनुच्छेद-246 की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित करता है जो निम्नानुसार है: -

"246. ऐसा कहते हुए, हम इस तथ्य के प्रति पूरी तरह से सचेत हैं कि यदि अनुच्छेद 21 में निर्धारित शर्तों को पूरा किया जाता है और यदि, साथ ही, मेनका गांधी [मेनका गांधी बनाम भारत संघ] में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को पूरा किया जाता है, तो नागरिकों को उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। (1978) 1 एससीसी 248] संतुष्ट है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करने के लिए, एक कानून होना चाहिए और 2023 की 4 आपराधिक विविध याचिका सं 2505 में कहा गया है कि कानून को एक निष्पक्ष प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिए। मौलिक बिंदु यह देखना है कि क्या धारा 377 किसी व्यक्ति की गरिमा की पवित्रता, पसंद की अभिव्यक्ति, जीवन की सर्वोपरि अवधारणा का समर्थन करती है और क्या यह किसी व्यक्ति को एक ऐसा जीवन जीने की अनुमति देती है जो किसी की प्राकृतिक अभिविन्यास की आज्ञा देता है। इसके अलावा, अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सवाल यह है कि क्या इस तरह के लिंग-तटस्थ अपराध, समय की बाढ़ के साथ, कानून की किताब में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए, खासकर जब सहमति हो और इस तरह की सहमति शारीरिक स्वायत्तता की स्थिति को बढ़ाती हो। इसलिए, प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत विकसित सिद्धांतों पर परखा जाना चाहिए।

7. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष पीपी प्रस्तुत करते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अपराध का कोई समय और तारीख शिकायत या गंभीर प्रतिज्ञान पर बयान में या उस मामले के लिए जांच गवाहों के बयान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (सुप्रा)** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि श्रेणी 'बी' मामलों में जमानत या अग्रिम जमानत नहीं दी जानी है। इसलिए, **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और**

अन्य (सुप्रा) जमानत न्यायशास्त्र के मामले में एक प्रमुख निर्णय है, और भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत दंडनीय अपराध प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रिब्यूनल है, जिसका अर्थ है, यदि मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई सजा, तो अधिकतम सजा जो लगाई जा सकती है वह 3 साल है और सजा के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लगाया जाता है, अधिकतम सजा 7 साल लगाई जा सकती है; विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा उस निर्णय का उल्लेख करने में कोई अवैधता नहीं की गई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अप्राकृतिक अपराध की कथित घटना किसी भी कमरे के चार कोनों के अंदर हुई थी जब केवल याचिकाकर्ता और उत्तरदाता सं.2 कमरे के अंदर थे और ऐसा नहीं है कि उक्त अप्राकृतिक अपराध एक बार हुआ था, लेकिन शिकायतकर्ता की ओर से स्वीकार्य रूप से; यह कई मौकों पर आपराधिक विविध याचिका सं 2505/2023 की लंबी अवधि के साथ लंबे अंतराल के साथ हुआ, लेकिन शिकायतकर्ता ने इस शिकायत को दर्ज करने से पहले कभी भी अप्राकृतिक अपराध के बारे में अपनी शिकायत नहीं उठाई। इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में जब जमानत रद्द करने के लिए किसी भी पर्यवेक्षण उदाहरण का कोई आरोप नहीं है क्योंकि उत्तरदाता सं.2 ने कोई कदाचार करने का आरोप नहीं लगाया है, हालांकि वह एक साल से भी कम समय से जमानत में है, यह एक उपयुक्त मामला नहीं है जहां विचरण न्यायालय द्वारा उत्तरदाता सं.2 को दी गई जमानत विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.2023 के संदर्भ में, पलामू को रद्द कर दिया जाए और अलग रख दिया जाए। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस आपराधिक विविध याचिका को बिना किसी योग्यता के खारिज कर दिया जाए।

8. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि हालांकि धारा 377 के तहत दंडनीय अपराध और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध दोनों में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे दोनों अपराधों को इसकी गंभीरता में बराबर नहीं किया जा सकता है और इसे अच्छी तरह से मान्यता दी गई है (क) भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का विचारण सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जाना है, किन्तु

भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अधीन दंडनीय अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी द्वारा किया जाना है। इसलिए इस तरह के मामले में जहां सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय कोई अपराध शामिल नहीं है, अधिकतम सजा जो 3 साल लगाई जा सकती है यदि वह न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी द्वारा लगाई जाती है, और अधिकतम सजा 7 साल है, यदि सजा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई जाती है, लेकिन इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में 7 साल से अधिक की सजा आपराधिक विविध याचिका 2505 / 2023 पारित नहीं की जा सकती है।

9. इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत दंडनीय अपराध कथित तौर पर पति और पत्नी के बीच तब हुआ जब वे कई मौकों पर वैवाहिक जीवन जी रहे थे और ऐसी प्रत्येक घटना के बीच काफी समय अंतराल था। शिकायत में कहीं भी ऐसी किसी घटना की घटना का समय और तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है। एक पत्नी की आरोपों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की सामान्य प्रवृत्ति जब वह कुछ वैवाहिक कलह के कारण अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज करती है, तो यह आम बात है। उत्तरदाता सं.2 के खिलाफ जमानत दिए जाने के बाद कोई कदाचार करने का कोई आरोप नहीं है, जो उसे अपनी जमानत रद्द करने के लिए उत्तरदायी बना सकता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध से जुड़े मामलों से संबंधित हैं। इस मामले में, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने मामले की परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की है और अपने दिमाग के आवेदन के बाद, उत्तरदाता सं.2 को अग्रिम जमानत के विशेषाधिकार प्रदान किए हैं।

10. जैसा कि विद्वान विशेष पीपी द्वारा ठीक ही प्रस्तुत किया गया है, **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (सुप्रा)** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं भी यह नहीं माना है कि गंभीर अपराधों या जघन्य अपराध से जुड़े मामलों में, जमानत या अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। ऐसे मामलों में, जमानत देने से पहले संबंधित अदालत को प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों पर विचार करना होता है। ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय को विद्वान

सत्र न्यायाधीश, पलामू द्वारा पारित दिनांक 15.05.2023 के आदेश में कोई अवैधता नहीं मिलती है, जिसके तहत और जहां शिकायत मामला सं. 1258 / 2022 के संबंध में उत्तरदाता सं.2 को अग्रिम जमानत दी गई है, अधिक इसलिए क्योंकि उत्तरदाता सं.2 हालांकि स्वीकार्य रूप से दस महीने से अधिक समय से जमानत में है; फिर भी उनके खिलाफ अग्रिम जमानत के विशेषाधिकारों के दुरुपयोग का कोई आरोप नहीं है।

11. तदनुसार, इस न्यायालय की सुविचारित राय में यह एक उपयुक्त मामला नहीं है जहां शिकायत मामले संख्या 1258/2022 के संबंध में विद्वान सत्र न्यायाधीश, पलामू द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.2023 के संदर्भ में विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा उत्तरदाता सं.2 को दी गई जमानत रद्द की जाए।

12. तदनुसार, इस आपराधिक विविध याचिका सं को बिना किसी योग्यता के खारिज किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्याया०.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
3 अप्रैल, 2024 को दिनांकित किया
ए. एफ. आर. / अनिमेष - सरोज

<u>यह अनुवाद (तलत परवीन), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया</u>।